

प्रेस को सूचना नोट (प्रेस विज्ञप्ति संख्या 94/ 2023)

तत्काल प्रकाशन के लिए


भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण

"पीएमआरटीएस और सीएमआरटीएस लाइसेंस के नियमों और शर्तों की समीक्षा" पर ट्राई परामर्श पत्र पर टिप्पणियाँ/प्रति टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि का विस्तार।

नई दिल्ली, 26 सितंबर 2023 - भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने 29.08.2023 को "पीएमआरटीएस और सीएमआरटीएस लाइसेंस के नियमों और शर्तों की समीक्षा" पर एक परामर्श पत्र जारी किया था। परामर्श पत्र में उठाए गए मुद्दों पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26.09.2023 तथा प्रति टिप्पणियाँ प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10.10.2023 निर्धारित की गई थी।

2. टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने के उद्योग संघों के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए, लिखित टिप्पणियाँ और प्रति टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि क्रमशः 24.10.2023 और 07.11.2023 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। विस्तार के किसी भी अन्य अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

3. टिप्पणियाँ/प्रति टिप्पणियाँ श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग), ट्राई को अधिमानतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में advmn@traai.gov.in पर भेजी जा सकती हैं। किसी भी स्पष्टीकरण/जानकारी के लिए, श्री अखिलेश कुमार त्रिवेदी, सलाहकार (नेटवर्क, स्पेक्ट्रम और लाइसेंसिंग) से टेलीफोन नंबर +91-11-23210481 पर संपर्क किया जा सकता है।



(वी. रघुनंदन)
सचिव, ट्राई